

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-2639/नौ-5-17-64सा/2016
लखनऊ : दिनांक ११ अगस्त, 2017

कार्यालय-जाप

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सिटी कम्पोस्ट (City Compost) के उन्नयन हेतु कार्यालय जाप संख्या-एफ.न. 11026/26/2016-एम एण्ड ई दिनांक 10 मई, 2016 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार प्रदेश में सिटी कम्पोस्ट (City Compost) के उन्नयन व इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सह अध्यक्ष
3	मिशन निदेशक(एसबीएम)/निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, लखनऊ	कन्वेनर
4	आयुक्त/निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
5	आयुक्त/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण निदेशालय, उओप्रो लखनऊ।	सदस्य
6	नगर आयुक्त, कैपिटल सिटी, लखनऊ।	सदस्य
7	नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद/वाराणसी। (02 नगर जहां कम्पोस्ट प्लान्ट क्रियाशील है)	सदस्य
8	प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य की क्रियाशील उर्वरक कम्पनियां।	सदस्य

- 2- उक्त समिति द्वारा निम्नवत् बिन्दुओं/शर्तों के अनुसार कार्य किया जायेगा-
- Tagging the city compost producing units with the fertilizer marketing companies for co-marketing as per policy notification.
 - Finalize the strategy for promoting usage of city compost in agriculture/horticulture activities.
 - To Monitor MRP of city compost being sold in the State under the notified policy.
 - Prepare and implement the action plan for achieving 100% processing of municipal waste.
 - To Monitor Issue of necessary certificates by concerned agency in the State Government to facilitate release of Market Development Assistance to fertilizer Companies.
 - To closely monitor the production of FCO Compliant city compost and extend all necessary support of cities to achieve the above.
 - The steering committee shall meet on fortnightly basis to analyze the development in regard to compost promotion and distribution.

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव।

संख्या-2639(1)/नौ-5-17-64सा/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- (2) सचिव, भारत सरकार, उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली।
- (3) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/कृषि/उद्यान/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (7) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
- (9) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- (10) निदेशक, सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- (11) आयुक्त/निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (12) आयुक्त/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (13) प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य की क्रियाशील उर्वरक कम्पनियां द्वारा निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (14) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,)

Manoj
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव